न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 56/2018

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थी :-

1. भरतकुमार पुत्र शांतिलाल
2. सावित्री देवी पत्नि शांतिलाल
3. चन्द्रीदेवी बेवा लालचंद

जातियान खाती निवासीगण
सेवरिया तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
जिला पाली (राज)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.13/03/2018

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 04/05/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध गै0सा0 इस आशय का राजस्व मौजा-सेवरिया पटवार हल्का-सेवरिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335/1 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। इसी प्रकार इसी ग्राम सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में सभी प्रार्थीगण की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1328 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम 1332/2 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1338 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1850/1353 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा की भूमि आई हुई है। इन खसरा नम्बरान की भूमि को सुविधा की दृष्टि से इस कार्यवाही में विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। प्रार्थीगण की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अंकित अनुसार मौके पर आई हुई है। जिसका मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व हक व अधिकार भी है। एंव उक्त भूमि का खाता भी अलग से है। लेकिन भूमि राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने की वजह से अजनबी व्यक्ति एवं अन्य अड़ौस पड़ौस के खातेदार प्रार्थीगण की इस कृषि भूमि के नाप चौप एवं सीमाओं को लेकर समय समय पर विवाद करते रहे है। जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की पेमाईश हेतु भी हल्का पटवारी से कई बार निवेदन किया। लेकिन इस भूमि के नक्शा ट्रेश में सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं होने की वजह से हल्का पटवारी ने भी प्रार्थीगण की भूमि की पेमाईश नहीं की उल्टे इस बाबत् प्रार्थीगण को न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 20.2.2015 को निर्देशित भी किया है। जिस पर प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह कार्यवाही अदालत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण की इस विवादित भूमि की मौका स्थिति एवं माठ खुर्द बुर्द हो जाने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी भूमि में कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ खडाई आदि करवाने में भी भारी परेशानी हो रही है। तथा सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं होने की वजह से अजनबी व्यक्ति भी विवाद करते है। इस बाबत् प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाकर तरमीम भी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र बाबत् मौके पर कराने सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं माठ कायम कराने व तरमीम कराने हेतु श्रीमान् के समक्ष बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। प्रार्थना पत्र माफिक न्याय शुल्क पर पेश है। एवं श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कावलियाकलां में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण जवाब प्रा. पत्र पेश कर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाना उचित बताया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। चूँकि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का संक्षिप्त सुनवाई / विचारण का प्रकरण हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–सेवरिया पटवार हल्का–सेवरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335/1 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं सभी प्रार्थीगण की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1328 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम 1332/2 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1338 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1850/1353 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **04/05/2018** को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–कावलियाकलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner